

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला नारायणपुर

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01.01.2021 के संबंध में

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्यक्रम इस प्रकार है:-

(1)

01.	मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन	16.11.2020 (सोमवार)
02.	दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की समयावधि	16.11.2020 (सोमवार) से 15.12.2020 (मंगलवार) तक
03.	विशेष अभियान	21.11.2020 (शनिवार) 22.11.2020 (रविवार) एवं 12.12.2020 (शनिवार) 13.12.2020 (रविवार)
04.	दावा आपत्ति से प्राप्त फार्मों का निराकरण	05.01.2021 (मंगलवार) तक
05.	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हेतु जॉच, डाटाबेस को अपडेट कर आयोग से अनुमति लिया जाना एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण	14.01.2021 (गुरुवार)
06.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	15.01.2021 (शुक्रवार)

(2) संदर्भ तिथि 01.01.2021 (अर्हता तिथि)

क्र०	फार्म	कार्य विवरण	दस्तावेज	
01.	फार्म-6	मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु	1 फोटो, सामान्य निवास प्रमाण जैसे-रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, जन्म प्रमाण जैसे-पैन कार्ड, पास पोर्ट, आधार कार्ड अंकसूची	01.01.2021 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गया हो संबंधित मतदान क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासरत हो
02.	फार्म-7	नाम विलोपित हेतु		जिनका स्थायी स्थानांतरण, मृत्यु, विवाह होकर अन्यत्र निवासरत हो
03.	फार्म-8	प्रविष्टियों में सुधार करने हेतु		नाम, पता, लिंग, उम्र, सरनेम में त्रुटि हो
04.	फार्म-8 क	स्थानांतरण हेतु	वर्तमान निवास प्रमाण	जिनका स्थानांतरण, एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो

टीप:- मतदाता स्वयं या संबंधित क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्र में जाकर ऑनलाईन भी आवेदन कर सकते हैं।

आयोग का वेबसाइट - www.nvsp.in

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)